दिनांक: 11 अक्टूबर 2023

निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों की छूट के लिए योजना (आरओडीटीईपी)

इस लेख में "दैनिक करंट अफेयर्स" और विषय विवरण "निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों की छूट के लिए योजना (आरओडीटीईपी) " शामिल है। यह विषय संघ लोक सेवा आयोग के सिविल परीक्षा के अर्थव्यवस्था खंड में प्रासंगिक है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए:

- *(RoDTEP) के बारे में?*

मुख्य परीक्षा के लिए:

- *सामान्य अध्ययन- 3: अर्थव्यवस्था*
- *योजना की आवश्यकता है?*

सुर्खियों में क्यों:

- सरकार द्वारा निर्यातित उत्पादों पर शुल्क एवं कर में छूट की योजना (आरओडीटीईपी) के तहत दिये जाने वाले सहयोग को 30 सितंबर 2023 तक अधिसूचित किया गया था, उसे अब संशोधित करके मौजूदा समय में निर्यात की जाने वस्तुओं के लिए पिछली दरों पर ही 30 जून 2024 तक बढ़ाया जा रहा है।

निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों की छूट के लिए योजना (आरओडीटीईपी) के बारे में-

- आरओडीटीईपी योजना, जिसे निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों की छूट के लिए योजना के रूप में जाना जाता है, एक महत्वपूर्ण पहल है जो भारत के निर्यातकों का समर्थन करती है।
- आरओडीटीईपी योजना के तहत, निर्यातकों को उनके निर्यात के फ्रेट ऑन बोर्ड (एफओबी) मूल्य के एक निश्चित प्रतिशत के आधार पर छूट मिलती है। ये छूट हस्तांतरणीय ड्यूटी क्रेडिट या इलेक्ट्रॉनिक स्क्रिप्स (ई-स्क्रिप्स) के रूप में दी जाती है। इन ई-स्क्रिप्स का विवरण डिजिटल रूप से दर्ज किया जाता है और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) द्वारा प्रबंधित किया जाता है।
- विभिन्न निर्यात क्षेत्रों के लिए एक अन्य सुधार करते हुए इस व्यवस्था के ढांचे के अनुरूप, निर्यातित उत्पादों पर शुल्क एवं कर में छूट की योजना के तहत अधिकतम दरों की समीक्षा एवं सिफारिश करने के उद्देश्य से राजस्व विभाग में निर्यातित उत्पादों पर शुल्क एवं कर में छूट की योजना हेतु समिति का फिर से गठित किया गया है।

वस्तुनिष्ठ

- आरओडीटीईपी योजना का प्राथमिक लक्ष्य निर्यातित उत्पादों के उत्पादन और वितरण प्रक्रियाओं के दौरान किए गए शुल्कों और करों की प्रतिपूर्ति करके निर्यातकों को व्यापक सहायता प्रदान करना है।
- यह ध्यान देने योग्य है कि आरओडीटीईपी में केंद्रीय, राज्य और स्थानीय स्तरों पर कर, शुल्क और लेवी शामिल हैं, जो किसी भी अन्य मौजूदा तंत्र के माध्यम से प्रतिपूर्ति नहीं की जाती हैं।

वित्तीय आवंटन:

- वित्त वर्ष 2023-24 में, भारत सरकार ने आरओडीटीईपी योजना को बढ़ावा देने के लिए 15,070 करोड़ रुपये का पर्याप्त बजट आवंटित किया है। यह आवंटन इस पहल के माध्यम से निर्यातकों को महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

हितधारक जुड़ाव:

- आरओडीटीईपी समिति ने हाल ही में निर्यात संवर्धन परिषदों (ईपीसी) और चैंबर्स ऑफ कॉमर्स के साथ जुड़ाव के प्रयास शुरू किए हैं। यह सक्रिय दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करता है कि निर्यात उद्योग में प्रमुख हितधारक शामिल हैं और सूचित हैं, सहयोग को बढ़ावा देते हैं और योजना के प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ावा देते हैं।

योजना की आवश्यकता:

आरओडीटीईपी योजना की आवश्यकता 2018 में भारत के सामने एक महत्वपूर्ण चुनौती से उत्पन्न हुई जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में भारत के पांच निर्यात सब्सिडी कार्यक्रमों पर आपत्तियां उठाईं।

पांच योजनाएं :

- भारत से वस्तु निर्यात योजना (MEIS)
- निर्यातोन्मुख इकाइयाँ (EOU)
- इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (EHTP)
- विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ)
- निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तुएं (EPCG)

अन्य बिन्दु-

- अक्टूबर 2019 में, डब्ल्यूटीओ ने फैसला सुनाया कि इन योजनाओं ने निषिद्ध निर्यात सब्सिडी प्रदान करके डब्ल्यूटीओ समझौतों का उल्लंघन किया। विश्व व्यापार संगठन के पैनल ने सिफारिश की कि भारत सरकार को अंतरराष्ट्रीय व्यापार नियमों के अनुरूप इन योजनाओं को वापस लेना चाहिए।
- विश्व व्यापार संगठन के इस फैसले और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों का पालन करने की आवश्यकता के जवाब में, भारत सरकार ने आरओडीटीईपी योजना शुरू की।
- यह योजना विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप है और इसे शुरू से अंत तक सूचना प्रौद्योगिकी से संबद्ध वातावरण में कार्यान्वित किया जा रहा है।
- इस कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि भारत की व्यापार प्रथाएं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों के अनुरूप रहें और अन्य देशों, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संभावित व्यापार विवादों से बचा जा सके।

स्रोत: पीआईबी

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न-

प्रश्न-01 भारत के निर्यातकों को सहायता प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल आरओडीटीईपी योजना , मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रदान करने पर केंद्रित है:

1. निर्यातकों को सीधे वित्तीय प्रोत्साहन।
2. निर्यात उद्योगों के लिए बुनियादी ढांचे का विकास।
3. निर्यात उत्पादों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण उपाय।

उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं?

(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) उपर्युक्त सभी।
(d) उपर्युक्त में कोई नहीं

Yojna IAS योजना है तो सफलता है yojnaias.com

प्रश्न-02 संयुक्त राज्य अमेरिका ने विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में भारत के पांच निर्यात सब्सिडी कार्यक्रमों पर आपत्तियां उठाईं।

1. भारत से वस्तु निर्यात योजना (MEIS)
2. निर्यातोन्मुख इकाइयाँ (EOU)
3. इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (EHTP)
4. विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ)
5. निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तुएं (EPCG)

उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 3
(c) केवल 4
(d) उपर्युक्त सभी।
(e) उपर्युक्त में कोई नहीं

उत्तर: D

मुख्य परीक्षा प्रश्न-

प्रश्न-03 किसी देश की अर्थव्यवस्था पर निर्यात संवर्धन नीतियों के बहुआयामी प्रभावों के साथ अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों प्रभावों को ध्यान में रखते हुए विश्लेषण कीजिए-

Rajiv Pandey

डिजिटल इंडिया अधिनियम

इस लेख में "दैनिक करंट अफेयर्स " और विषय विवरण "डिजिटल इंडिया अधिनियम" शामिल है। यह विषय संघ लोक सेवा आयोग के सिविल सेवा परीक्षा के शासन अनुभाग में प्रासंगिक है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए:

- *डिजिटल इंडिया अधिनियम के बारे में?*

मुख्य परीक्षा के लिए:

- *सामान्य अध्ययन- 02: शासन*
- *कानून के लिए तर्क?*

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में अनावरण किया गया डिजिटल इंडिया अधिनियम 2023 (डीआईए) भारत के तेजी से विकसित हो रहे डिजिटल परिदृश्य के लिए एक समकालीन कानूनी ढांचा बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के नेतृत्व में यह पहल देश के डिजिटल भविष्य को प्रबंधित करने और प्रभावित करने के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण प्रदर्शित करती है।

डिजिटल इंडिया बिल-

डिजिटल इंडिया अधिनियम विधेयक (डीआईए) एक व्यापक विधायी ढांचा है जिसमें चार आवश्यक घटक शामिल हैं:

1. डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक।
2. डिजिटल इंडिया अधिनियम दिशानिर्देश।
3. राष्ट्रीय डेटा गवर्नेंस के लिए नीति।

4. भारतीय दंड संहिता में संशोधन।

कानून के लिए तर्क

- 850 मिलियन इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के साथ, भारत दुनिया में सबसे अधिक डिजिटल रूप से जुड़ा हुआ देश है। हालाँकि, पूर्व-डिजिटल युग के लिए बनाया गया वर्तमान सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, उपयोगकर्ता अधिकारों की रक्षा, विश्वास स्थापित करने, साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने और आधुनिक साइबर खतरों का मुकाबला करने के प्रावधानों का अभाव है।
- साइबर अपराधों में वृद्धि, गलत सूचना का प्रसार, और गोपनीयता के बारे में चिंताएं अद्यतन कानून की अनिवार्य आवश्यकता को रेखांकित करती हैं।

डिजिटल इंडिया बिल के लक्ष्य

डिजिटल इंडिया विधेयक निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास करता है:

- **डिजिटल कानून:** एक लचीला कानूनी ढांचा स्थापित करना जो विकसित तकनीकी रुझानों के अनुकूल हो सकता है।
- **न्यायिक तंत्र:** ऑनलाइन नागरिक और आपराधिक अपराधों को हल करने के लिए एक सुलभ तंत्र प्रदान करना।
- **सिद्धांत और नियम-आधारित दृष्टिकोण:** व्यापक शासी सिद्धांतों के आधार पर एक विधायी संरचना विकसित करना।

डिजिटल इंडिया अधिनियम के प्रमुख घटक

डिजिटल इंडिया अधिनियम में कई महत्वपूर्ण घटक शामिल हैं:

- **ओपन इंटरनेट**: भारत सरकार के अनुसार ओपन इंटरनेट (Open Internet) में विकल्प, प्रतिस्पर्द्धा, ऑनलाइन विविधता, निष्पक्ष बाजार पहुँच, कारोबारी सुगमता के साथ-साथ स्टार्ट-अप्स के लिये अनुपालन की आसानी शामिल होनी चाहिये। ये विशेषताएँ शक्ति के संकेंद्रण और नियंत्रण (गेटकीपिंग) पर रोक लगाती हैं।
- **ऑनलाइन सुरक्षा और विश्वास:** साइबर खतरों के खिलाफ उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा, रिवेंज पोर्न, मानहानि, साइबरबुलिंग और डिजिटल अधिकारों को आगे बढ़ाने, अल्पवयस्कों एवं उनके डेटा को एडिक्टिव टेक्नोलॉजी से बचाने और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फेक न्यूज़ को नियंत्रित करने पर लक्षित है।
- **KYC आवश्यकताएं:** खुदरा बिक्री में उपयोग किये जाने वाले पहनने योग्य उपकरणों के लिये कठोर KYC (Know Your Customer) को अनिवार्य बनाता है, साथ ही संबंधित आपराधिक कानून प्रतिबंधों और दंडों के प्रावधान करता है।
- **मुद्रीकरण नियम:** डिजिटल इंडिया विधेयक के प्रावधानों के साथ संरेखित करने के लिए मंच और उपयोगकर्ता-जनित सामग्री से संबंधित नियमों को संशोधित करना।

मुख्य विशेषता:

- **सेफ हार्बर की अवधारणा पर पुनर्विचार:** सिद्धांत की समीक्षा करेगा, जो X और फेसबुक जैसे ऑनलाइन प्लेटफार्मों को उपयोगकर्ता-जनित सामग्री के लिये जवाबदेही से बचाता है।
- **सेफ हार्बर**: "सेफ हार्बर" सिद्धांत इस धारणा पर आधारित है कि ऑनलाइन "मध्यस्थों" को बाहरी पक्षों द्वारा उनके प्लेटफार्मों पर प्रकाशित सामग्री के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए। इस सिद्धांत के परिणामस्वरूप, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म अनिवार्य रूप से उपयोगकर्ता-जनित सामग्री के लिए उत्तरदायी होने से प्रतिरक्षित हैं।
- **सेफ हार्बर का विकास:** हाल के वर्षों में, सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 जैसे नियमों के कारण 'सेफ हार्बर' अवधारणा को प्रतिबंधों और संशोधनों का सामना करना पड़ा है। इन विनियमों के अनुसार प्लेटफ़ॉर्मों को कानून के अनुरोध पर या सरकार के अनुरोध पर सामग्री को हटाना आवश्यक है।

स्रोत-इंडियन एक्स्प्रेस

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न-

प्रश्न-01 डिजिटल इंडिया बिल (डीआईए) और 'सेफ हार्बर' की अवधारणा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. 'सेफ हार्बर' सिद्धांत इंटरनेट मध्यस्थों को उनके प्लेटफॉर्म पर तीसरे पक्ष द्वारा पोस्ट की गई सामग्री के लिए जिम्मेदार ठहराता है।
2. डिजिटल इंडिया विधेयक का एक प्रमुख घटक गोपनीयता पर हमला करने वाले उपकरणों के लिए केवाईसी को अनिवार्य करना है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: D

मुख्य परीक्षा प्रश्न-

प्रश्न-02 भारत के डिजिटल परिवर्तन के संदर्भ में डिजिटल इंडिया अधिनियम (DIA) 2023 के महत्व तथा विभिन्न हितधारकों पर इस कानून के संभावित प्रभाव का विश्लेषण कीजिए?

Rajiv Pandey

Yojna IAS
योजना है तो सफलता है
yojnaias.com